न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी कुशल कुमार कोठारी आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या :- 01/2017

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1. सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना खेड़ापा, जिला जोधपुर ग्रामीण,		1. घमण्डाराम पुत्र राजुराम जाति-जाट निवासी-नागड़ी पीएस खींवसर जिला-नागौर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति:-
1. प्रार्थी की ओर से श्री ओमचन्द हर्ष प्रवर्तन अधिकारी (विभागीय पेरोकार) उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से बावजूद नोटिस तामिल कोई उपस्थित नहीं।

<u>निर्णय</u>

दिनांक 11.12.2017

राज्य सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना खेड़ापा, जोधपुर ग्रामीण की ओर से एक प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के पेश किया जिसमें व्यक्त किया कि दिनांक 20.09.15 को श्रीमती भावना दयाल पत्नि रघुवीर दयाल निवासी अशोक नगर अजमेर हाल प्रवर्तन निरीक्षक जोधपुर शहर (ई.आई.) ने उपस्थित थाना होकर लिखित रिपोर्ट पेश की कि थानाधिकारी थाना खेड़ापा द्वारा दूरभाष पर सूचना दी कि थाना खेड़ापा में एक बोलेरो केम्पर आर.जे. 42-जीए-0042 में दो ड्रम पेट्रोल गश्त के दौरान रोककर पुलिस थाने में रूकवाया मौके पर देखने पर उक्त सफेद रंग की बोलेरो केम्पर आर.जे. 42-जीए-0042 में हरे रंग के ड्रम में प्रत्येक ड्रम में लगभग दौ सौ लीटर कुल दो ड्रमों में चार सौ लीटर पेट्रोल पाया गया। थाने में मौजूद व्यक्ति

उक्त पेट्रोल का परिवहन करता पाया जिसका नाम घमण्डाराम पुत्र राजूराम चौधरी निवासी नागड़ी तहसील नागड़ी जिला नागौर का होना बताया तथा लगभग 400 लीटर पेट्रोल का परिवहन करने का उसके द्वारा कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया गया। मौके पर पर घमण्डाराम चौधरी के पास उक्त बोलेरो केम्पर के संबंध में कोई दस्तावेजात या लाईसेन्स नहीं पाया गया। घमण्डाराम चौधरी द्वारा उक्त पेट्रोल का अवैध संग्रहण तथा परिवहन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी उपबंधों तथा पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1990 की धारा 15 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त 400 लीटर पेट्रोल को लक्ष्मी पेट्रोलियम रातड़ी नाडी के श्री महेन्द्र टाक पुत्र श्री ओमदत्त टाक नागौर को सुपुर्द किया गया तथा उक्त वाहन मय घमण्डाराम चौधरी को थाना खेड़ापा को सुपुर्द किया गया। अत: भारी मात्रा में पेट्रोल का संग्रहण तथा परिवहन कर ले जाना पाये जाने पर उक्त पेट्रोल को जब्त किया गया। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1990 के तहत जब्तसुदा उक्त पेट्रोल मय ड्रम राज्यसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया किन्तु बावजूद तामिल नोटिस न तो अप्रार्थी अथवा न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए, ऐसी स्थिति में विभागीय पेरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित श्री ओमचन्द हर्ष प्रवर्तन अधिकारी (विभागीय पेरोकार) ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी श्री घमण्डाराम पुत्र राजूराम द्वारा अवैध रूप से भारी मात्रा में पेट्रोल का संग्रहण तथा परिवहन कर ले जाना पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त जब्तसुदा 400 लीटर पेट्रोल मय ड्रम को राज्यसात करने के आदेश पारित किया जाने का निवेदन किया गया है।

हमने प्रार्थी की ओर से उपस्थित श्री ओमचन्द हर्ष प्रवर्तन अधिकारी (विभागीय पेरोकार) की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध

दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में मौजूद दस्तावेजों के अवलोकन से पाया गया कि अप्रार्थी श्री घमण्डाराम पुत्र राजूराम द्वारा अवैध रूप से भारी मा़त्रा में पेट्रोल का संग्रहण तथा परिवहन कर ले जाना पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त जब्तसुदा 400 लीटर पेट्रोल मय ड्रम को राज्यसात करने के आदेश पारित किया जाना उचित समझते है।

अत: उपरोक्त विवरण के आधार पर थानाधिकारी, खेड़ापा द्वारा अप्रार्थी घमण्डाराम से जब्त किये गये 400 लीटर पेट्रोल मय ड्रम का अवैध संग्रहण तथा परिवहन कर ले जाना पाये जाने के कारण इन्हे राज्यसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। थानाधिकारी, पुलिस थाना खेड़ापा व जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार जब्तसुदा पेट्रोल के निस्तारण की कार्यवाही करते हुए प्राप्त राशि राज्यकोष में जमा कराये। आदेश की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना खेड़ापा व जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कुशल कुमार कोठारी)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर